न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 01, आजमगढ़।
सत्र परीक्षण संख्या 300/2023
स्टेट बनाम छोटेलाल आदि
दिनांक 18.08.2025

पत्रावली पेश हुई। आवेदक/अभियुक्त मनीष राय की तरफ से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए उसके विरूद्ध निर्गत गैर जमानतीय अधिपत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 16.08.2025 को अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसके विरुद्ध एन.बी.डब्लू. का आदेश जारी किया गया है। अभियुक्त की ओर से अनुपस्थिति का कारण बीमार होना कहा गया है तथा यह भी कथन किया गया है कि वह न्यायालय की शर्तों का भविष्य में पालन करेगा। वारण्ट विगत दो तिथि का है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध निर्गत गैर जमानतीय अधिपत्र सशर्त निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मुब० – 50000/– रूपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर उसके विरूद्ध निर्गत गैर जमानतीय अधिपत्र निरस्त किया जाता है। अभियुक्त इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करे कि वह जबतक पत्रावली में आरोप विरचित नही हो जाता वह प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं01,
आजमगढ़।

Digitally signed by Ajay Kumar Shahi
Date: 2025.08.18 13:24:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court